

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-2/2623/ २०८

भोपाल, दिनांक २९/०४/२०२२

- : आदेश :-

संयुक्त संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर के पत्र क्रमांक/बोर्ड/स्था./22-23/156 दिनांक 28.04.2022 के संदर्भ में श्री प्रीतम मौर्य, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर द्वारा दिनांक 28.04.22 को संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर की अनुपस्थिति में संयुक्त संचालक के कक्ष में कुर्सी पर बैठ कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अभद्रता का व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप म०प्र० राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रीतम मौर्य, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला-ग्वालियर का मुख्यालय म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल रहेगा। निलम्बन अवधि में म०प्र० राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भरो की पात्रता होगी। जिसका भुगतान कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर से प्रतिमाह की 5 तारीख तक कार्यालय म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(विकास सुरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-2/2623/ २०८

भोपाल, दिनांक २९/०४/२०२२

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, (वि.जॉच) म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल इन्हें निर्धारित समयावधि में आरोप पत्रादि जारी करें।
3. संयुक्त संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री प्रीतम मौर्य, निलंबित सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर के विरूद्ध 15 दिवस में आरोप पत्र इत्यादि तैयार करवाकर अपर संचालक (विभागीय जॉच) मुख्यालय भोपाल को समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सहायक संचालक (स्थापना-2) म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर।
6. श्री प्रीतम मौर्य, निलंबित सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
7. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जॉच/गो.च./ कम्प्यूटर शाखा मंडी बोर्ड भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल